

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/BSP(H)CL -01/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत सिंचाई हेतु "मुख्यमंत्री कृषि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना" अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मोड में ऊर्जान्वयन हेतु कुल 1200.00 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़) रुपये का स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को 3.3390 करोड़ (तीन करोड़ तैंतीस लाख नब्बे हजार) रुपये भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-4690 दिनांक-15.09.2026 के आलोक में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत सिंचाई हेतु "मुख्यमंत्री कृषि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना" अंतर्गत कृषि-फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मोड में ऊर्जान्वयन हेतु कुल 1200.00 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़) रुपये का स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को 3.3390 करोड़ (तीन करोड़ तैंतीस लाख नब्बे हजार) रुपये भुगतान हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05-संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0115-हर खेत तक सिंचाई का पानी-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-10-4801051900115 विषय शीर्ष-54.01-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
230,00,00,000.00	85,65,87,000.00	3,33,90,000.00	88,99,77,000.00	141,00,23,000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।



5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0048-नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200048 में जमा की जाएगी।

7. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या-PTSPLA018 से की जाएगी।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र०/BSP(H)CL-01/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र०/BSP(H)CL-01/2024-

80

/पटना, दिनांक-16.09.2026

प्रतिलिपि:-लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० एवं आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।